(वाद संख्या–5196/17)

02.12.2019

परिवादी, कुन्ती देवी, उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

परिवादी, कुन्ती देवी, पति स्व0 संजय सिंह, ग्राम–मुर्गियाचक, पो0–कुर्किहार, थाना– वजीरगंज, टोला–सिकंदरपुर, पंचायत–बिच्छा, जिला–गया द्वारा अपने पति, स्व0 संजय सिंह की दिनांक–16.10.2016 को बधार में गिरे 11 हजार वोल्टेज तार में चिपक जाने से हुई मृत्यु के उपरान्त मुआवजा हेतु दिया गया आवेदन–पत्र से संबंधित है।

उपरोक्त के संबंध में आज सुनवाई के क्रम में परिवादी, कुन्ती देवी द्वारा बताया गया कि **आयोग के पहल पर साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना द्वारा उसे नियमानुसार कुल चार लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है।**

अब, जबकि परिवादी के परिवाद–पत्र के आलोक में आयोग के पहल पर संबंधित कंपनी द्वारा नियमानुसार परिवादी को मुआवजा की राशि का भुगतान किया जा चुका है तो, उक्त परिवाद के संबंध में आयोग स्तर पर अब कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में प्रसंगाधीन परिवाद को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक

Bihar Human Rights Commission, Patna